प्रेक्षण विधि
Observation

आँकड़े (Data) संग्रह के technique के रूप में Observation सर्वाधिक पुरातन (Primitive) तथा आधुनिक विधि है।

प्रेक्षण विधि का स्वरूप

प्रेक्षण विधि एक ऐसी विधि है जिसमें शोधकर्ता व्यक्ति के व्यवहार का तथा घटनाओं के दृश्य (visbile) एवं श्राव्य (audible) पक्षों को क्रमबद्ध ढंग से (systematically) देख-सुन कर उसका रिकार्ड तैयार करता है।

आँकड़ा संग्रह करते समय शोधकर्ता यह प्रत्यक्षण (Perception) करता है कि लोग क्या कर रहे थे, और क्या कर ~~रहे~~ रहे हैं तथा वह जो कुछ भी देखता है एवं सुनता है, उसे रिकार्ड कर लेता है। जिसका बाद में ~~संख्यात्मक~~ संख्यात्मक विश्लेषण कर वह एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचता है।

परिभाषा

Observation Data संग्रहण के रूप में एक ऐसी प्रविधि को कहा जाता है जिसके द्वारा विशिष्ट प्रकार की परिस्थितियों में प्राणियों से सम्बन्धित उन व्यवहारों का चयन (selection), उत्तेजन (stimulation), अभिलेखन (recording) एवं कूट संकेत (coding) किया जाता है जो शोध के उद्देश्यों से संगत होते हैं।

इन परिभाषा का विश्लेषण करने पर हमें प्रेक्षण विधि के स्वरूप के बारे में निम्न तथ्य प्राप्त होते हैं।

(1) प्रेक्षण विधि में प्राणी के व्यवहारों का अध्ययन विशिष्ट परिस्थिति में किया जाता है। प्रेक्षण विधि का उपयोग विशेषतः उन स्थानों या परिस्थितियों में किया जाता है, जहाँ प्रेक्षण किये जाने वाले प्राणी प्राणी अपना अधिकांश समय स्वाभाविक रूप से व्यतीत करते हैं

प्रेक्षण विधि में प्रयोज्यकर्ता (observer) या शोधकर्ता प्राणियों के स्वाभाविक व्यवहारों के अध्ययन पर बल डाला जाता है।

(ii) प्रेक्षण में प्राणियों (organism) के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। प्राणी से मतलब मानव तथा पशु दोनों से होता है। अक्सर छात्र भूल से समझ बैठते हैं, कि प्रेक्षण में सिर्फ मानव के व्यवहारों का ही अध्ययन होता है जबकि पशु मनोविज्ञान में ऐसे अनेक अध्ययन हैं, जिसमें शोधकर्ता पशु के व्यवहारों का निरीक्षण कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं।

(iii) प्रेक्षण विधि में प्राणियों के व्यवहारों का चयन में चार प्रकार की उपक्रियाएँ सम्मिलित होती हैं-
चयन (selection)
उत्तेजना (stimulation)
अभिलेखन (Recording) तथा
कूटसंकेतन (coding)

प्रेक्षण प्रविधि के प्रकार (Types of Observation Technique)

प्रेक्षण प्रविधि के मुख्य तीन प्रकार होते हैं-

(अ) पहली समस्या ध्यान में रखते हुए प्रेक्षण के दो प्रकार हैं-
(i) नियन्त्रित प्रेक्षण (Controlled Observation)
(ii) अनियन्त्रित प्रेक्षण (Uncontrolled Observation)

(ब) दूसरी समस्या को ध्यान में रखते हुए भी प्रेक्षण के दो अन्य प्रकार हैं-
(i) सहभागी प्रेक्षण (Participant Observation)
(ii) असहभागी प्रेक्षण (Non-Participant Observation)

(स) तीसरी और अन्तिम समस्या के आधार पर प्रेक्षण को अन्य दो भागों में बाँटा गया है।
(i) वर्गीकरण व्यवस्था तथा (ii) रेटिंग व्यवस्था

(i) नियंत्रित प्रेक्षण (Controlled Observation) — इस तरह के प्रेक्षण में प्रेक्षणकर्ता एक निश्चित एवं स्पष्ट नियम के अनुसार प्रेक्षण करता है। इस विधि में प्रेक्षण की नियमावली एक वैज्ञानिक एवं तार्किक क्रम पर आधारित होती है। नियंत्रित प्रेक्षण में परिस्थिति यदा-कदा स्वभाविक भी हो सकती है परन्तु अक्सर इसमें परिस्थिति काफी नियंत्रित रहती है, ताकि बांछित तत्वों का प्रभाव प्रेक्षण पर न पड़ सके।

चुंकि नियंत्रित प्रेक्षण एक प्रकार का वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण है अतः इसमें प्रेक्षणकर्ता एक पूर्व योजना बनाकर कार्य करता है, प्रेक्षण की योजना बनाते समय प्रेक्षणकर्ता को तरह तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं।

(ii) अनियंत्रित प्रेक्षण (Uncontrolled Observation) - गुडे तथा हाट्ट (Goode and Hatt, 1987) के अनुसार - "अधिकतर अनियंत्रित प्रेक्षण में परिस्थिति स्वाभाविक होती है। और जिन्हे या जिनका प्रेक्षण किया जा रहा है, वे इस बात से अवगत रहते हैं कि उनका प्रेक्षण किया जा रहा है।" अनियंत्रित प्रेक्षण में प्रयोगकर्ता न तो कोई स्पष्ट नियम को ही अपनाता है और न ही किसी वैज्ञानिक तार्किक क्रम पर अपने प्रेक्षण को आधारित करता है, इस लिए इस प्रेक्षण को अक्रमबद्ध प्रेक्षण भी कहा जाता है। जैसे, जब कोई शोधकर्ता बस में बैठे व्यक्तियों की भीड़ व्यवहार व्यवहार का प्रेक्षण अचानक शुरू कर देता है तो वह अनियंत्रित प्रेक्षण होता है।

(ब) सहभागी प्रेक्षण (Participant Observation) — यह एक ऐसा प्रेक्षण है, जिसमें शोधकर्ता व्यक्तियों के क्रिया कलापों में स्वयं हाथ बँटाता है, और साथ ही साथ उनके व्यवहारों प्रेक्षण भी करता है। इस ढंग से ~~प्रेक्षक~~ प्रेक्षण में प्रेक्षक उस परिस्थिति का भाग बन जाता है जिसमें प्रेक्षण किया जा रहा है। प्रेक्षक का उद्देश्य व्यवहारों का ठीक ढंग से वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण करना करना होता है, इसे मुख्यतः सहभागी प्रेक्षण कहते हैं।

(ii) असहभागी प्रेक्षण (Non-Participant Observation) — यह एक ऐसी विधि है, जिसमें प्रेक्षक व्यक्तियों के व्यवहारों का प्रेक्षण एक स्वाभाविक परिस्थिति में तो करता है परन्तु स्वयं व्यक्तियों के क्रियाकलापों में हाथ नहीं बँटाता है।

ब्लैक तथा चैम्पियन (Black & Champion, 1976) के अनुसार —"असहभागी प्रेक्षण एक ऐसी विधि है, जिसमें शोधकर्ता दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों का प्रेक्षण एक स्वभाविक परिस्थिति में करता है, परन्तु प्रेक्षित व्यवहारों में वास्तविक सहभागी के रूप में कार्य नहीं करता है।"

प्रेक्षण विधि के लाभ / गुण

(i) इस विधि द्वारा संग्रह किये गये Data में विश्वसनीयता (Reliability) अधिक होती है और फिर शोध समस्या के बारे में लिया गया अन्तिम निष्कर्ष भी अधिक वैध होता है।

(ii) इस विधि में व्यवहारों मात्र प्रेक्षण करके ही समझा जा सकता है और उससे कोई अर्थपूर्ण व्याख्या की जा सकती है।

(iii) प्रेक्षण विधि द्वारा हम उन व्यक्तियों के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं जो प्रेक्षक की भाषा नहीं जानते तो इस विधि द्वारा आसानी उनके व्यवहारों का अध्ययन किया जा सकता है।

created by :- Nidhi Roy

प्रेक्षण विधि के दोष/परिसीमाएँ
(Limitations of Observation Method)

(i) इस विधि द्वारा प्राणी के उन व्यवहारों का अध्ययन नहीं किया जा सकता जो आन्तरिक हैं जो बाह्य रूप से दर्शनीय नहीं हैं, जैसे, प्राणी के भावनाओं, संवेदना व्यक्तिगत विचारों का अध्ययन इस विधि द्वारा सम्भव नहीं है।

(ii) इस विधि में प्रेक्षक यह कोशिश करता है, कि वह व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन एक स्वाभाविक परिस्थिति में करें। चुंकि इन्तजात की घड़ी अनियमित होती है। इसलिए प्रेक्षक का धैर्य और अभिरुचि दोनों ही समाप्त होता दिखता है।

(iii) व्यक्ति के कुछ व्यवहार तथा घटना चक्र की प्रकृति ऐसी होती है कि उनका प्रेक्षण विधि द्वारा अध्ययन नहीं किया जा सकता है, जैसे, पति-पत्नि के लैंगिक व्यवहार (sexual behaviour), व्यक्तिगत पारिवारिक घटनाएँ विशेषकर अप्रिय घटनाएँ तथा जीवन की ऐतिहासिक घटनाओं का प्रेक्षण विधि द्वारा अध्ययन नहीं किया जा सकता है।

(iv) जब व्यक्तियों को यह पता चलता है कि उनके व्यवहारों को कोई observation कर रहा है तो वह अपना स्वाभाविक व्यवहार बदल देता है, और कुछ अस्वाभाविक व्यवहार शुरू कर देता है। इस तरह के अस्वाभाविक व्यवहार के अध्ययन के बाद शोधकर्ता जिस निष्कर्ष पर पहुँचता है, वह निश्चित रूप से न तो विश्वसनीय और न ही वैध ही होता है।